प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 01 जून, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी प्रदीप पुत्र श्री सुरेश कश्यप, निवासी जनपद-सीतापुर की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक, (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-30967/प्रो0अनु0(2)-303/2025 (बैठक दिनांक 28.07.2025), दिनांक 01.08.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी प्रदीप पुत्र श्री सुरेश कश्यप, जो लोहार बाग, थाना-कोतवाली, जनपद-सीतापुर का निवासी है। दिनांक 28/29.04.2007 को अभियुक्त ने वादिनी के साथ उसकी पुत्री आयु 06 वर्ष वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने आयी व खेलते समय तभी मिठाई बना रहे हलवाई प्रदीप ने बहला-फुसालाकर घर के बाहर ले जाकर बलात्कार करने के उपरान्त गला दबाकर उसकी हत्या कर लाश बगिया में सूनसान जगह फेंक दिये जाने की घटना कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-790/2007 में भा0द0वि0 की धारा-302, 376, 201 के अन्तर्गत मा० अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-07, सीतापुर के आदेश दिनांक 19.07.2012 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 23.07.2025 तक बंदी द्वारा अपरिहार 18 वर्ष 02 माह. 18 दिन तथा सपरिहार 22 वर्ष, 02 माह, 23 दिन की सजा भोगी गयी है। दिनांक 23.07.2025 तक बंदी की आयु लगभग 40 वर्ष 11 माह है।

पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा बंदी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, पुनः अपराध कर सकने, पुनः अपराध करने में सशक्त होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या प्रेषित करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

क्रिमिनल रिट याचिका संख्या-48/2014 भारत संघ बनाम वी० श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2015 के अनुपालन में मा० दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने अभिमत दिनाक 08.04.2025 द्वारा प्रेषित आख्या में अंकन किया गया है कि" सिद्धदोष बंदी को अगर राज्य नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा करने का निर्णय गुण दोष के आधारपर लेता है, तो न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है।

सलाहकार समिति का अभिमत है कि दिनांक 28/29.04.2007 को अभियुक्त ने वादिनी के साथ उसकी पुत्री आयु 06 वर्ष वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने आयी व उसके खेलते समय मिठाई बना रहे हलवाई प्रदीप ने बहला-फुसालाकर घर के बाहर ले जाकर बलात्कार करने के उपरान्त गला दबाकर उसकी हत्या कर लाश बगिया में सुनसान जगह फेंक दिये जाने की घटना कारित की गयी। मा० उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गई है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि बन्दी को कारागार से रिहा करने पर समाज में भय का वातावरण व्याप्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

होगा तथा लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार समिति के समस्त सदस्यों द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त मत स्थिर करते हुये बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता व बन्दी को कारागार से रिहा करने से समाज में भय का वातावरण व्याप्त होने, लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सी०आर०पी०सी० की धारा-432 द०प्र०सं० के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी प्रदीप पुत्र श्री सुरेश कश्यप को उ०प्र० जेल मैनुअल प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी प्रदीप (बन्दी संख्या-48378) पुत्र श्री सुरेश कश्यप, निवासी जनपद-सीतापुर की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-617/2026/1551(1)/22-2-2025 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर।
2- पुलिस अधीक्षक, सीतापुर।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
4- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-
5- 529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।